

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जुलाई 2013—श्रावण 5, शक 1935

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2013
आदेश

एफ. 19-17-2013-बारह-1.—मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के नियम 6 उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, अतिभारण तथा रायल्टी के अपवंचन की जांच के लिए, निम्न सारणी के कॉलम (2) में दिये गये स्थान पर जांच चौकी स्थापित करती है, अर्थात्:—

सारणी

जिले का नाम (1)	स्थान (2)
सीहोर	ग्राम सांदलपुर, तहसील नसरुल्लागंज में नसरुल्लागंज-इंदौर मार्ग पर वन विभाग की जांच चौकी के पास

उपरोक्त जांच चौकी की स्थापना से संबंधित समस्त प्रशासकीय व्यय मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा वहन किये जायेंगे.

ORDER

F-19-17-2013-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 6 of the Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal mining, Transportation and Storage) Rules, 2006, the State Government, hereby set up the check-post for checking of illegal extraction, transportation, overloading and evasion of royalty of sand, on the place given in column (2) of the Table below, namely:—

TABLE

Name of District (1)	Place (2)
Sehore	In Village Sandalpur, Tahsil Nasrullahganj near the Check-post of forest department on Nasrullahganj—Indore Road.

All the administrative expenditure related to setting up of the above Check-post shall be borne by the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजातशत्रु श्रीवास्तव, सचिव.